

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1239/2025

अनिता पुत्री भागीरथ

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. प्राधानाचार्य, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनू।
5. विजेन्द्र झांझडिया, नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय अस्पताल लाडनू, जिला डीडवाना—कुचामन।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025

आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, केवीयटर

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय चिकित्सालय लाडनू, डीडवाना कुचामन में प्रत्यर्थी संख्या 5 के स्थान पर किया गया है एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी के दो बच्चे हैं, जो झुंझुनू में अध्ययनरत हैं एवं अपीलार्थी की सास वृद्ध है, जो मानसिक रोग

से ग्रसित है। जिनका निरन्तर ईलाज चल रहा है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण 200 कि.मी. दूर कर दिया गया है (अनुलग्नक-2)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुंनू में ही कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिलवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य